न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 207/2016

कालूराम (कृष्णलाल) पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ हाल वार्ड नं. 7 रामदेव मन्दिर के पास सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़। —रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राभूअ 1956

विरूद्ध आदेश अति0 कलक्टर सूरतगढ

दिनांक 14.09.2015

उपस्थितः—

श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 12.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 28.04.2009 से प्रार्थी/अपीलार्थी को रोही टीलांवाली के ख.न. 46 में 2.530 है0 व ख.न. 48/4 में 5.060 है0 कुल 7.590 है0 भूमि पर खातेदारी प्रदान की गई है जिसके विरूद्ध नायब तहसीलदार सूरतगढ ने अपील अति.कलेक्टर सूरतगढ के समक्ष पेश कर ख.न. 48/4 की 2.530 है0 भूमि की खातेदारी निरस्त करने का निवेदन किया। अपील पेश होने पर अति.कलेक्टर सूरतगढ ने तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2009 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

12/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 28.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में ख.न. 48/4 की 2.530है0 भूमि की खातेदारी निरस्त करने का निवेदन किया था किन्तु अति.कलक्टर द्वारा आदेश दिनांक 28.04.2009 को ही निरस्त कर दिया, अति.कलक्टर के समक्ष अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी किन्तु इस बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने योग्य थी। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. 2002 पेज 26, आर.एल. डब्ल्यू 2004 पेज 705, आर.एल.डब्ल्यू 2013 (1) पेज 341 , आर.आर.डी. 1994 पेज 606 की नजीरें पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में जब यह तथ्य सामने आया कि तहसीलदार द्वारा गलत खातेदारी दी गई है तो उनके द्वारा समस्त भूमि की खातेदारी दिये जाने के आदेश को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील आदेश दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध दिनांक 22.09.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

12/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी.न्यायालय अति.कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अपीलांट की पुख्ता आवंटन की खातेदारी निरस्त की गई जबकि अपीलांट को प्राप्त खातेदारी अधिकार खत्म नहीं किये जा सकते। अतः अधी. न्यायालय का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय में प्रथम अपील तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 28.04.2009 को दिये गये खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध दिनांक 24.12.2014 को 5 वर्ष 8 माह 4 दिन बाद अपील पेश की गई थी। खातेदारी देने वाला तहसीलदार व अपील पेश करने वाला नायब तहसीलदार एक ही कार्यालय होकर समस्त रेकार्ड अपीलांट के ज्ञान में निर्णय की तिथि से होना प्रमाणित है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 में जो आधार दर्शाए है वह पर्याप्त नहीं है साथ ही अधी.न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अनुतोष चाहा गया है कि आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ दिनांक 28.04.2009 की आंशिक अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरअपील में रोही टीलांवाली तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 48/4 में दी गई 5.060 है0 खातेदेारी को संशेधित कर उक्त खसरा में 2.530 है0 की खातेदारी निरस्त कर कुल खातेदेारी ख0नं0 46 में 2.530 है0 व ख0न0 48/4 में 2.530 है0 कुल 5.060 है0 की खातेदारी रेस्पो0 को यथावत रखने व ख0न0 48/4 में शेष 2.530 है0 की खातेदारी को निरस्त करने का आदेश फरमावें। परन्त अधी.न्यायालय द्वारा अपने आदेश के कियात्मक भाग में अंकित किया है कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा खातेदारी अधिकार आदेश क.भू.अ./खातेदारी/08/469 दिनांक 28.04.09 बहक रेस्पो. कालूराम पुत्र लिछमण जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ को पूर्णतः खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बाबत रेस्पो. राजकीय अधिवक्ता का कथन कि प्रकरण हाजा में अपीलांट सरकार होने से विलम्ब माफ सही किया है तथा अन्य तथ्य पत्रावली पर अधी. न्यायालय द्वारा सही विवेचित किये है जाहिर किया।

12/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली के अवलोकन, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन करने, उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि तहसीलदार के निर्णय की अपील नायब तहसीलदार द्वारा 5 वर्ष 8 माह बाद प्रस्तुत करना किसी न किसी Second thought की उपज है। अतः इस delay को condone करने का जो कारण दर्शाया है वह न तो तार्किक है न ही मानने योग्य है तथा अपील से ज्यादा अनुतोष देना भी उचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी.न्यायालय में दायर अपील के अनुतोष तक अधी.न्यायालय के निर्णय में अपीलांट की सम्पूर्ण खातेदारी के बजाय रोही टीलांवाली तहसील सूरतगढ के ख.न. 48/4 में दी गई 5.060 है0 खातेदारी में से 2.530 है0 निरस्त करना प्रतिस्थापित किया जाता है शेष तहसीलदार सूरतगढ का आदेश दिनांक 08.04.2009 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर